<u>खुली निविदा आमंत्रण सूचना</u>

F.Tend/PC/Farm Store/ 2024-25/22645 **Date: 06-09-2024**

भा.कृ.अनु.प.–अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कार्यालय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण **UBN No. JAU2425SSOB00109** से राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट https://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

परियोजना समन्वयक / नोडल अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
ICAR-ALL INDIA COORDINATED RESEARCH PROJECT ON PEARL MILLET
कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर – 342 304
Agriculture University, Mandor, Jodhpur – 342 304

Telephone : 0291-2571408 (O) E-mail: aicpmip@gmail.com

सूचना क्रमांक –F.Tend/PC/FarmStore/2024-25/22645 दिनांक 06.09.2024

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अनु.प.- अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के फार्म एवं कार्यालय पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न कृषि एवं कार्यालय कार्यों (अनुमानित लागत रु. 9,50,000/– अक्षरे नौ लाख पचास हजार रुपये) को करवाने के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक (स्त्री/पुरूष) उपलब्ध करवाने हेतु बन्द लिफाफे में मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें इस कार्यालय से रुपये 500/– डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 19.09.2024 (गुरूवार) को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त कृषि कार्यों को अनुबन्ध पर करवाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु धरोहर राशि 19,000/- अक्षरे उन्नीस हजार रुपये दिनांक 20.09.2024 (शुक्रवार) को सुबह 11:00 बजे तक इस कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जो कि Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। उक्त निविदा दिनांक 20.09.2024 को सुबह 11:30 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in, राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं भा.कृ.अनु.प.-अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना की वेबसाइट www.aicpmip.res.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

Vikas

परियोजना समन्वयक/मोचन अधिकारी
PROJECT COORDINATOR
AICRP ON PEARL MILLET (ICAR)
ARS, MANDOR, JODHPUR-342 304

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त समय पर अपना प्रतिनिधि भिजवाने की कृपा करें।
2. सूचना पट्ट, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मंडोर/बाजरा परियोजना, जोधपुर
3. निविदा समिति सदस्यगण..

भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना,

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

खुली निविदा सूचना

NIB Code	............................JAU2425A0097
निविदा जमा करवाने का तरीका	भौतिक (ऑफलाइन)
निविदा/सेवा	एक वर्ष के अनुबन्ध पर उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु।
निविदा प्राधिकृत/क्रेता	**भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना**, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
अनुमानित राशि	9.50 लाख रुपये
निविदा शुल्क	500/–रुपये
धरोहर राशि	अनुमानित राशि का 02 प्रतिशत (राशि रूपये 19000/–)
निविदा जारी करने की तिथि	06/09/2024
निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	20/09/2024 को सुबह 11:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	20/09/2024 को सुबह 11:30 बजे से
वेबसाइट (निविदा संबंधी दस्तावेजों, शुद्विपत्रों एवं परिशिष्ठों को डाउनलोड करने हेतु)	www.aujodhpur.ac.in, www.sppp.rajasthan.gov.in www.aicpmip.res.in

निविदा शुल्क (राशि 500/–) एवं धरोहर राशि रू. 19,000/– डिमाण्ड ड्राफ्ट Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम से देय होगा।

Vikas

PROJECT COORDINATOR
AICRP ON PEARL MILLET (ICAR)
ARS, MANDOR, JODHPUR-342 304

भा.कृ.अनु.प. – अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) – 342 304, राजस्थान

निविदा प्रपत्र- I

Technical Bid Format

(कार्यालय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता..
....दूरभाष संख्या...
2. आयकर स्थायी खाता संख्या..
3. जीएसटी पंजीयन क्रमांक..
4. निविदा शुल्क की राशि 500/– की राशि डीडी ....दिनांक .... जो Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet के नाम जो जोधपुर में देय है। (सलंग्न है)
5. अमानत राशि 19000/–. का डीडी .... जिसका क्रमांक........................ दिनांक ....जो Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet के नाम जो जोधपुर में देय है। (सलंग्न है)
6. मैंने/ हमने Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न निविदा की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों को भली–भांति अध्ययन कर लिया है। जिसके लिये मै/हम बाध्य हूँ/हैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
7. मै/हम निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करों एवं खर्चे सहित) करने एवं देने को सहमत हूँ/है।

निविदादाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा

क्र. सं	विवरण	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण दिनाँक एवं वर्ष	संलग्नक (✓)
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
5.	आयकर (PAN number)			
6.	Mandatory Undertaking of Rs. 50/- Notary Stamp (Condition no. 30)			
7.	Annexure A, B, C, D			

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्णरूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र- II

Financial Bid Format (BoQ)

क. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अकुशल श्रमिक :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार/फसलों की बुवाई (ले–आउट/गैप फिलिंग/पौध की रोपाई/पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य/खरपतवार निकालना, घुड़ाई करना, तुड़ाई करना, बीज निकालना, कटाई,गहाई, औसाई व बीज पेकिंग, प्रयोगशाला व ग्रीन हाउस में कार्य/बागवानी संबंधित सहायक कार्य/विभिन्न कृषि प्रयोगों के आंकड़े (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद)/फसल को पक्षीयों से बचाव,फार्म व कार्यालय में विभिन्न कार्य आदि।/अन्य काई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	अकुशल श्रमिक	259 रूपये		13.00 %	3.25 %		
3	कुशल श्रमिक :– बागवान, भारी वाहनों के चालक, ट्रैक्टर चालक, टाईपिस्ट, स्टोर कीपर, पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर (अन्य काई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	कुशल श्रमिक	283 रूपये					
4	उच्च कुशल श्रमिक :– अकाउंटेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला उपकरणों की देखरेख/रखरखाव, संकगणक ऑपरेटर, डेटा एंट्री इत्यादि (अन्य काई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	उच्चकुशल श्रमिक –	333 रूपये					

1. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) राशि नियमानुसार प्रचलित स्लेब के अनुसार अतिरिक्त देय होगी।
2. वितीय बोली/प्राईस बिड की तालिका के स्तंभ संख्या 5, 8 व 9 की प्रविष्टि ही बोलीदाता द्वारा ऑफलाइन की जायेगी।
3. तालिका के स्तंभ संख्या 5 में भरी जाने वाली दर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी।
4. बोलीदाता द्वारा स्तंभ संख्या 5, 8 व 9 में शून्य व ऋणात्मक राशि का अंकन करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. बोलीदाता द्वारा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
6. ईपीएफ, ईएसआई व वस्तु एवं सेवाकर की राशि समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय राशि के अनुसार होगी एवं राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में परिवर्तित दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

भा.कृ.अ.नु.प. –अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में उच्च कुशल/कुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्तें:

1. इस कार्यालय हेतु अनुबन्ध पर उच्चकुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा नियम पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ठ/अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता है, जिसके लिए दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गई है एवं अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से बढाई जा सकती है। कृपया दरें निविदा में उल्लेखित शर्तो को पढकर दें जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा शुल्क (राशि 500/–) एवं धरोहर राशि रू. (राशि 19,000/–) डिमाण्ड ड्राफ्ट Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम से देय होगा।
3. <u>निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बिना निविदा मान्य नहीं होगी।</u> अंतिम तिथि तक निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur) कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
4. <u>**Financial Bid Format (BoQ)** को अलग बन्द लिफाफे में जमा करवाना</u> **जरूरी है**
5. निविदा के आवेदन हेतु फर्म का अपने हस्ताक्षरित मय मोहर के आवश्यक है।
6. निविदा में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. डाक द्वारा विलंब के लिए यह कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. ठेकेदार को प्रतिदिन 08 (आठ) घंटे सेवा देने के लिए व्यक्ति लगाने होंगे एवं उन्हें जहा कहीं कार्य करने के लिए कहा जाए वहां से नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियत समय पर उपस्थित रह कर कार्य करवाना होगा। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करने के लिए भी ठेकेदार को कहे जाने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाने होंगे।
10. दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट एवं साफ अंकित करें।
11. श्रमिकों को निर्धारित दरों से मासिक भुगतान अगले माह की 05 तारीख तक करवाना अनिवार्य होगा, जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होना चाहिए।
12. उच्चकुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों का भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ठ/अनुभवी कार्मिकों का बिल प्रत्येक माह की आखिरी तारीख तक प्रभारी, संबंधित विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रेषित करना होगा। बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौति कर भुगतान किया जायेगा।

Vikas

13. भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आदेशानुसार ही श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे, अर्थात प्रत्येक पारी में श्रमिक 8–8 घन्टें प्रतिदिन के आधार पर लगाए जा सकते हैं।
14. कुशल श्रमिक योग्य एवं अनुभवी होना आवश्यक हैं।
15. अनुबंधित श्रमिक द्वारा परिसर की संपति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबंधकर्त्ता से वसूल की जायेगी।
16. **अनुबंधकर्त्ता को रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पर इकरारनामा पत्र (अनुबंध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबध प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत राशि को प्रतिभूति (सुरक्षा) राशि के रूप मे निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा।**
17. अनुबंध के बीच में छोड़ने पर जमा प्रतिभूति राशि परियोजना समन्वयिका, भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबंध को शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय नुकसान/हानि की वसूली अनुबंधकर्ता से की जायेगी।
18. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर, नई निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर मूल अनुबंधकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जायेगी।
19. अनुबंध की अवधि के दौरान श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नही किया जायेगा और इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांगी नही की जायेगी।
20. अनुबंधकर्ता का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करावे, निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं करने की अवस्था में आनुपातिक रूप से प्रति श्रमिक प्रति दिवस की दर से अनुबंधक से वसूली की जाएगी।
21. कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का नाम, पता एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को देना होगा जैसे ही कर्मचारी बदला जाये उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण के संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
22. कुशल श्रमिकों को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होगा अन्यथा उनको अनुबंध पर नहीं रखा जायेगा।
23. कार्य दिवस में यदि कोई श्रमिक बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो प्रति श्रमिक रूपये आनुपातिक रूप से प्रति श्रमिक प्रति दिवस विपत्र से कटौती कर दी जायेगी।
24. अनुबंधकर्ता किसी भी कर्मचारी के कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।
25. अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान से संबंधित सूचना देना आवश्यक है।

26. आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौति निविदादाता को देय राशि में से भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रतिमाह की जायेगी। निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीयन/लाइसेन्स के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
27. ठेकेदार द्वारा अनुबंध आधार पर जो श्रमिक उपलब्ध करवाया जाता है, उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष की रहेंगी।
28. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए श्रमिकों में से यदि कोई व्यक्ति लगातार 03 दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहता है तो ठेकेदार को उसके स्थान पर अन्य श्रमिक उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा प्रतिदिन 100/– रूपयें के हिसाब से शास्ति के रूप में ठेकेदार से वसूल किये जायेंगे।
29. ठेकेदार को ठेका समाप्त होने के तीन माह पश्चात जमा धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि का भुगतान किया जायेगा यदि उसके विरूद्व कोई बकाया नहीं रहता है तो। किसी भी प्रकार का बकाया होने की स्थिति में बकाया का समायोजन उक्त राशि में से किया जायेगा।
30. निविदादाता द्वारा इस आशय की घोषणा/अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि वह पूर्व में किसी भी विभाग/संस्था/सरकार द्वारा असंतोषजनक कार्य/दुराचरण/दोषसिंद्वि के कारण आरोपित नहीं किया गया है तथा न ही ब्लेक लिस्टेड किया गया है।
31. ड्यूटी समय पर श्रमिक अपने कार्य स्थल को छोडकर अन्य कही नही जायेंगें।
32. ड्यूटी समय में श्रमिक अपने कार्य स्थल पर कार्य करेंगे तथा ड्यूटी अवधि में मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेंगे। अशिष्ठ व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिए संबंधित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के विरूद्व की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
33. अनुबंध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले कार्मिको के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी रहेगा।
34. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की समस्त शर्ते एवं नियम लागू होंगे।
35. राजस्थान Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
36. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
37. न्याय क्षेत्र केवल जोधपुर ही रहेगा।

38. श्रमिकों के पी.एफ एवं ई.एस.आई. (प्रभावशील होने पर) राशि में पृथक उल्लेख निविदा में करना होगा। पी.एफ. एवं ई.एस.आई. राशि के संबंध में उल्लेख नहीं करने पर श्रम नियमों के अन्तर्गत संपूर्ण राशि जमा करवाने का दायित्व निविदाकार स्वय का होगा। कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

39. निविदा के साथ निविदाकार को फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ई. पी.एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

40. अमानत राशि रूपये 19,000/– डिमाण्ड ड्राफ्ट Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम से देय सलंग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

41. निविदा सूचना में अंकित शर्ते निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा।

42. निविदा प्रपत्र में अंकित निर्धारित शर्तो की पूर्ति एवं प्रपत्र में चाही गई सूचना प्रस्तुत नही किये जाने के आधार पर निविदा मान्य नही होगी।

43. श्रमिक के पी.एफ. जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा।

44. अनुबंधकर्ता द्वारा दरें एक वर्ष के अनुबध के लिए दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है, उनके द्वारा उक्त दरों के अनुरूप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि आगामी 06 माह तक बढायी जा सकती है।

45. राजस्थान Transparency in Public Procurement Act 2012 & Rule 2013 एवं GF&AR के प्रावधान प्रभावी होगें।

46. कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में निविदा को भौतिक रूप से स्वीकार किया जायेगा।

47. निविदा में अंकित सेवा शुल्क की न्यूनतम दर के आधार पर निविदा अनुमोदित की जाकर संबंधित फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा।

48. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबधित संवेदक का होगा।

49. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक की उक्त निविदा भाग ले सकतें है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि बोली दस्तावेज के साथ सलंग्न करना आवश्यक है।

50. निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजूदरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण प्रस्तुत करने अथवा श्रमिकों के

बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

51. श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतक मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/संवेदक का होगा। श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई राशि न्यूनतक मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।

52. बोलीदाता/संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियनानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

53. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, कार्मिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एंव संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

54. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एंव ई.सी.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

55. संवेदक द्वारा कार्मिको को देय राशि पर वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलंग्न की जायेगी। वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एंव सेवाकर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

56. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

57. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,

1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।

58. नियोजित कार्मिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

59. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

60. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

61. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता हस्ताक्षर करेगा।

62. वित्तीय निविदा में दरें समान प्राप्त होने की दशा में कार्यादेश फर्म के गुण–अवगुण के आधार पर दिया जायेगा।

63. निविदाकर्ता के पास कम से कम 10 श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक है।

परियोजना समन्वयक/नोडल अधिकारी

PROJECT COORDINATOR
AICRP ON PEARL MILLET (ICAR)
ARS, MANDOR, JODHPUR-342 304

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

Annexure- A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

(a) have controlling partners/ shareholders in common; or

(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

(f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure- B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: **Signature of bidder**

Place:

Name :

Designation:

Address:

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....
The designation and address of the Second Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases: No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

1. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.